



सहायक सांखिकी अधिकारी

Assistant Statistical Officer
(ASO)

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 2

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक
समीक्षा

RAJASTHAN ASO

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक समीक्षा

क्र.सं.	ग्रन्थायां	पृष्ठ अंक
1.	भारत में बैंकिंग का इतिहास	1
2.	भारत में बैंकिंग संरचना	6
3.	भारतीय वित्तीय तंत्र	46
4.	भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार	49
5.	मौद्रिक एवं साख नीति	56
अर्थव्यवस्था		
6.	अर्थव्यवस्था	61
7.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	62
8.	राष्ट्रीय आय	69
9.	मुद्रास्फीति (Inflation)	87
10.	विभिन्न बाजारों के अन्तर्गत कीमत निर्धारण	105
11.	उपभोक्ता की माँग तथा माँग का नियम	114
12.	निर्धनता/गरीबी (Poverty)	137
13.	राजस्थान आर्थिक-समीक्षा 2021–22	143
14.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	147
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	158
16.	औद्योगिक विकास	168
17.	आधारभूत संरचना का विकास	171
18.	सेवा क्षेत्र	175
19.	शहरीकरण और शहरी विकास	177
20.	बुनियादी सामाजिक सेवाएँ – शिक्षा एवं स्वास्थ्य	180
21.	अन्य सामाजिक सेवाएँ/कार्यक्रम	181

22.	राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन	183
23.	पर्यटन	187
24.	सामाजिक अधिकारिता वाली योजनाएँ	188
25.	राजस्थान की पशु सम्पदा	190
26.	भारत वन रिपोर्ट – 2021 – 2022	192
27.	राजस्थान वन रिपोर्ट – 2021 – 2022	194
28.	राजस्थान की योजनाएँ	196
29.	राजस्थान बजट 2022	205

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय का अर्थ

- एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है।

जैसे – गेहूँ → 100 → 150 → 200 → 300 → 350 → अंतिम मूल्य → राष्ट्रीय आय
 कीमत मंडी थोक व्यापारी उपभोक्ता

नोट – राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

नोट – राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने हेतु उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। (मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है।)

नोट – राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक प्रवाह (Flow) अवधारणा है, जो चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल करती है। (Stock में रखी गई वस्तु को मूल्य की गणना में शामिल नहीं करती है।)

जैसे – 100 → 80 → 20
 वस्तुओं का विक्रय स्टॉक
 उत्पादन (वर्ष के दौरान)

उदाहरण – राष्ट्रीय आय धारणा है –

- प्रवाह धारणा
- स्टॉक धारणा
- a व b दोनों
- इनमें से कोई नहीं

उत्तर – a

राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

- जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग-अलग विचारों, धारणाओं व मतों से अध्ययन किया जाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ कहा जाता है, जो निम्न हैं –
- जो निम्न हैं –

- सकल घरेलू उत्पाद → Gross Domestic Product (GDP)
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद → Gross National Product (GNP)
- शुद्ध घरेलू उत्पाद → Net Domestic Product (NDP)
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद → Net National Product (NNP)
- प्रति व्यक्ति आय → Per Capita Income (PCI)
- खर्च योग्य व्यक्तिगत आय

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

नोट: सकल घरेलू उत्पाद का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से है, नागरिकों से नहीं।

जैस – Make in India, FOI

नोट: सकल घरेलू उत्पाद में 2 मदों को सम्मिलित किया जाता है।

- देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन
- विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

नोट – किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रगति का सूचक सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना जाता है।

उदाहरण – देश के आर्थिक विकास का सूचक है –

- चालू मूल्यों पर GDP
- स्थिर मूल्यों पर GDP
- चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय PCI
- स्थिर मूल्यों पर PCI

उत्तर – b

नोट – वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के तहत बताया गया है कि यदि देश की आर्थिक वृद्धि दर प्रतिवर्ष 7% रहती है, तो वर्ष 2024 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

2020–21 → GDP → 7.3%

जनवरी–मार्च, 2021 → 1.6% वृद्धि

उदाहरण – निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद की राशि ज्ञात करें –

- भारतीय कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 10,000 / – GDP
- विदेशी कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 20,000 / – GDP
- भारतीय कम्पनी की विदेशी बाखा से प्राप्त आय = ₹ 3,000 / –
- भारतीय राजदूतों द्वारा अमेरिका में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 30,000 / – GDP
- अमेरिकी राजदूतों द्वारा भारत में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 15,000 / –

हल – $GDP = 10,000 + 20,000 + 30,000 = ₹ 60,000 / –$

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है।

$GNP = GDP + X - M$

X = देश के नागरिकों द्वारा विदेशी उत्पादन

M = विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध देश के नागरिकों से है, भौगोलिक सीमा से नहीं।

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 मदों को शामिल किया जाता है –

- (i). देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन
GNP → GDP
- (ii). देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन
GNP ✓ → GDP *

उदाहरण – वित्तीय वर्ष के समय देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य ₹ 80,000/- है देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/- तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 1,500/- है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल –



उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 50,000/- देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 10,000/- तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 15,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – $GNP = GDP + X - M$

$GDP = 50,000$

$$= 50,000 + 10,000 - 15,000 \quad \begin{matrix} \text{देश के नागरिकों} \\ \text{द्वारा देश में उत्पादन} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{विदेश के नागरिकों} \\ \text{द्वारा देश में उत्पादन} \end{matrix}$$

$$= 45,000 \quad \quad \quad (x)$$

नोट – GDP तथा GNP के मध्य अंतर –

- (i). $GNP = GDP \rightarrow X = M$ बंद अर्थव्यवस्थाओं में (आयात–निर्यात पर प्रतिबंध)
- (ii). $GNP > GDP \rightarrow X < M$ यदि विदेशों में प्राप्त आय ऋणात्मक हो (NFIA) (विकासशील देशों में)
- (iii). $GNP > GDP = X > M$ (यदि विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय धनात्मक हो (NFIA) (विकसित देशों में))
- (iv). $GNP - GDP = \text{विदेशों से प्राप्त शुद्ध ऋणात्मक} \rightarrow \text{देश का कम}$
- (v). $GNP = (GDP + NFIA)$

$$GNP = (GDP \pm NFIA)$$

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य ₹ 20,000/- देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 17,000/- है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगी ?

हल – $GNP = 20,000$	GDP = 20,000
$GDP > GNP = 3000 (-)$ ऋणात्मक	GNP = 17,000
$GNP = 17,000$	GDP > GNP (-)

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/- है। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 5,000/- तथा विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 8,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि क्या होगी ?

हल – $GNP = 20,000 - 8,000 + 5,000$	5,000 देश
$= 17,000$	$\frac{8,000}{(-) 3,000}$ विदेश
$GDP = 20,000$	
$GNP = 17,000$	
$GDP > GNP$ (विकासशील देशों में)	

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कम्पनी द्वारा कुल तथा अंतिम मूल्य ₹ 30,000/- है भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन ₹ 5,000/- तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन ₹ 3,000/- है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – $GNP = 30,000 + 5,000 - 3,000$	5,000 देश
$= 32,000$	$\frac{3,000}{(+)} 2,000$ विदेश
	विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय

$GNP > GDP$ (विकसित देशों में)
 $32,000 > 30,000$

शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product-NDP)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की राशि को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है।

$NDP = GDP - Depreciation$ (मूल्यह्यस)

नोट – सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) का अंतर मूल्यह्यस कहलाता है।

GDP – NDP = Depreciation	GDP > NDP = अंतर – मूल्यह्यस
--------------------------	------------------------------

नोट – शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने हेतु भौतिक सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की दर का निर्धारण प्रतिवर्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP)

- जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी अर्थात् मूल्यह्यस को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहलाता है।


$NNP = GNP - Depreciation$

$NNP = GDP + X - M - Depreciation$

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) का अंतर मूल्यह्यस कहलाता है।

मुद्रा स्फीति (Inflation)

अर्थ




स्थितियाँ

- मुद्रा की मात्रा $\Rightarrow \uparrow$ वृद्धि
- मुद्रा का मूल्य $\Rightarrow \downarrow$ कमी
- समग्र माँग $\Rightarrow \uparrow$ वृद्धि
- समग्र पूर्ति $\Rightarrow \downarrow$ कमी
- वस्तुओं का मूल्य $\Rightarrow \uparrow$ वृद्धि

अर्थ

जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य सामान्य कीमत स्तर की तुलना में अधिक हो जाता है अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग उनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो उसे "मुद्रा स्फीति" की स्थिति कहा जाता है।

साधारण शब्दों में जब अर्थव्यवस्था में महँगाई का बढ़ जाना "मुद्रा स्फीति" कहलाता है।



मुद्रा स्फीति के कारण

1. माँग जनित मुद्रा स्फीति (Demand Pull Inflation) ↑
2. पूर्ति जनित मुद्रा स्फीति (Supply Push Inflation) ↓
3. लागत जनित मुद्रा स्फीति (Cost Pull Inflation) ↑

1. माँग जनित मुद्रा स्फीति (Demand Pull Inflation)

जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग उनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है जो उसे "माँग जनित मुद्रा स्फीति" कहा जाता है।

माँग में वृद्धि होने के कारण निम्न हो सकते हैं –

- जनसंख्या में वृद्धि होना।
- प्रत्यक्ष करो (DT) में कमी होना।
- ऋण योजनाओं का विस्तार होना।
- RBI की सस्ती/उदार मौद्रिक नीति।
- मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर।
- सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होने पर।
- जनता के पास अवैध धन होना।

2. पूर्ति जनित मुद्रा स्फीति (Supply Push Inflation)

जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उनकी माँग की तुलना में कम हो जाती है तो उसे "पूर्ति जनित मुद्रा स्फीति" कहा जाता है।

वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में कमी होने के निम्न कारण हो सकते हैं –

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण।
- युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर।
- सरकार की जमाखोरी के कारण।
- कच्चे माल में कमी।

3. लागत जनित मुद्रा स्फीति (Cost Pull Inflation)

जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की लागतों में वृद्धि होती है, जिससे उन वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उसे "लागत जनित मुद्रा स्फीति" कहा जाता है।

वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत बढ़ने के निम्न कारण हो सकते हैं –

- कच्चे माल की कम उपलब्धता होना।
- मजदूरी दरों में वृद्धि होना।
- अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होना।
- व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा होना।

मुद्रा स्फीति के प्रकार

किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को दो भागों में बाँटा गया है –

1. दर के आधार पर
 - (i) अल्प मुद्रा स्फीति
 - (ii) सरपट मुद्रा स्फीति
 - (iii) अति मुद्रा स्फीति
2. नियंत्रण के आधार पर
 - (i) खुली मुद्रा स्फीति
 - (ii) बन्द मुद्रा स्फीति

1. दर के आधार पर

(i) अल्प मुद्रा स्फीति – जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर दीर्घकाल तक एकल संख्या (Single Digits) तक बनी रहती है अर्थात् 0% से 9% तक होती है तो उसे "अल्प मुद्रा स्फीति" कहा जाता है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति का स्वरूप अल्प मुद्रा स्फीति वाला है।

नोट 1 – अल्प मुद्रा स्फीति सामान्यतः सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्रा स्फीति का स्वरूप मानी जाती है।

नोट 2 – हाल ही में भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2021 तक भारत में मुद्रा स्फीति की दर को 2% से 6% तक ($4\% \pm 2\%$) तक रखा जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त करने हेतु भारत सरकार तथा RBI के बीच एक समझौता हुआ तथा उस समझौते के आधार पर 27 जून, 2016 को मुद्रा की मात्रा को Control करने हेतु एक 6 सदस्यीय "मौद्रिक नीति समिति" (MPC) का गठन किया गया है।

(ii) सरपट मुद्रा स्फीति (Galloping Inflation) – जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 2 Digit संख्याओं से 3 Digit के मध्य रहती है तो उसे "सरपट मुद्रास्फीति" कहा जाता है।

जैसे – किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में मुद्रा स्फीति की दर 10% से 999% तक बनी रहती है तो उसे सरपट मुद्रास्फीति की स्थिति माना जाता है।

नोट – सरपट मुद्रास्फीति को "उछलकूद मुद्रास्फीति / छलांग मुद्रास्फीति / दौड़ती मुद्रास्फीति" आदि कई नामों से जाना जाता है।

(iii) अति मुद्रा स्फीति (Hyper Inflation) – जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर रातों रात बढ़ जाती है तो उसे "अति मुद्रा स्फीति" कहा जाता है तथा अति मुद्रास्फीति की स्थिति को किसी भी सरकार के द्वारा अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से नियंत्रित करना संभव नहीं होता है और ऐसी स्थितियों में मुद्रा अपना वास्तविक अस्तित्व खो चुकी होती है।

2. नियंत्रण के आधार पर

(i) खुली मुद्रा स्फीति – जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य स्तर अपने आप बढ़ जाता है तो उसे "खुली मुद्रा स्फीति" कहा जाता है। अर्थात् "अति मुद्रा स्फीति" की स्थिति को "खुली मुद्रा स्फीति" की स्थिति भी कहा जाता है।

(ii) बंद मुद्रा स्फीति – जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा जो सरकारी नीतियों के आधार पर चलती रहती है, "दबी मुद्रा स्फीति" की स्थिति कहलाती है।

मुद्रा स्फीति का मापन

भारत में मुद्रा स्फीति का मापन करने हेतु दो सूचकांक तैयार किए जाते हैं –

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- WPI की गणना बड़े स्तर पर की जाती है।
- WPI मुद्रा की क्रयशक्ति में थोक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- WPI का मापन प्रतिमाह "उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय" द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में WPI का आधार वर्ष 2011–12 है जो पहले 2004–05 था। किन्तु राजस्थान राज्य में WPI का मापन करने हेतु आधार वर्ष के रूप में 1999–2000 को ही लिया जाता है।
- वर्तमान में WPI की गणना करने हेतु सरकार द्वारा 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है तथा उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है।

श्रेणियाँ	वस्तुएँ	भार
प्राथमिक उत्पाद	117	22.62%
ईंधन एवं ऊर्जा उत्पाद	16	13.15%
विनिर्मित उत्पाद	564	64.23%
	697	100%

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- CPI का मापन छोटे स्तर पर किया जाता है।
- CPI मुद्रा की क्रयशक्ति में फुटकर स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- CPI का मापन प्रतिमाह "CSO/NSO" द्वारा किया जाता है।
- CPI का मापन करने हेतु वर्तमान आधार वर्ष 2012 है जो पहले 2010 था।
- CPI का मापन करने हेतु "वस्तुओं तथा सेवाओं" दोनों को सम्मिलित किया जाता है तथा इन्हें छः भागों में विभाजित किया गया है।
 - (i) खाद्य पदार्थ
 - (ii) पान, तम्बाकू पदार्थ
 - (iii) आवास
 - (iv) कपड़े व जूते
 - (v) ईंधन एवं ऊर्जा उत्पाद
 - (vi) विविध

नोट – थोक मूल्य सूचकांक (WPI) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अंतर –

थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
1. WPI का मापन बड़े स्तर पर किया जाता है।	1. CPI का मापन छोटे स्तर पर किया जाता है।
2. WPI का मापन वस्तुओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।	2. CPI का मापन वस्तुओं तथा सेवाओं के फुटकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।
3. WPI का मापन प्रतिमाह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।	3. CPI का मापन प्रतिमाह CSO/NSO द्वारा किया जाता है।

4. WPI का वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 है।	4. CPI का वर्तमान आधार वर्ष 2012 है।
5. WPI का मापन करते समय केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है अर्थात् वस्तुओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाता है।	5. CPI का मापन करते समय वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है।
6. WPI के मापन में वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है।	6. CPI का मापन करने हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं को 6 भागों में बाँटा गया है।
7. WPI का मापन करते समय सर्वाधिक भार विनिमित उत्पाद 64.23% को दिया गया है।	7. CPI का मापन करते समय सर्वाधिक भार खाद्य पदार्थ 45.83% को दिया गया है।

नोट – वर्ष 2015 से भारत में मुद्रास्फीति का आंकलन करने हेतु WPI के साथ–साथ CPI को भी आधार माना जाने लगा है तथा रंग–राजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर CPI को WPI की तुलना में अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसके निम्न कारण बताये गये हैं –

1. WPI का मापन करते समय केवल वस्तुओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है जबकि CPI का मापन करते समय "वस्तुओं तथा सेवाओं" दोनों के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है।
2. WPI का मापन करते समय खाद्य पदार्थों को कम भार (22.62%) दिया गया जबकि CPI का मापन करते समय खाद्य पदार्थों को अधिक भार (45.83%) दिया गया है।
3. WPI मापन थोक मूल्यों के आधार पर किया जाता है, फुटकर मूल्यों के आधार पर नहीं जबकि देश की अधिकांश जनता वस्तुओं का क्रय फुटकर मूल्यों के आधार पर करती है एवं CPI का मापन फुटकर मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है।

मुद्रा स्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव

- (i) **ऋणदाता पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके कारण ऋणदाता को कम ब्याज दरों पर ऋण देना होता है, इसीलिए ऋणदाता को हानि वहन करनी पड़ती है और साथ–ही–साथ भविष्य में मुद्रा का मूल्य कम हो जाने के कारण पहले से दिए गए ऋण की Value कम हो जाती है।
- (ii) **ऋणी पक्ष पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ऋणी को न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ऋणी पक्ष को लाभ होता है अर्थात् मुद्रा स्फीति का ऋणी पक्ष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
- (iii) **किसानों पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के कारण माँग की तुलना में उत्पादन कम होता है, जिसके कारण किसान वर्ग अपने उत्पादों को अधिक से अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं जिससे किसान वर्ग को लाभ होता है।
- (iv) **उत्पादकों पर प्रभाव** – किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है जिससे व्यापारियों तथा उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है।
- (v) **रोजगार पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के उत्पादन को माँग के बराबर लाने हेतु व्यापारियों द्वारा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जिसके लिए नये नये उद्योगों की स्थापना की जाती है जिससे नए रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होती है।
- (vi) **उपभोक्ताओं पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण उपभोक्ता वर्ग को हानि वहन करनी पड़ती है।
- (vii) **आयात तथा निर्यात पर प्रभाव** – मुद्रास्फीति के कारण आयात तथा निर्यात पर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है –
 - प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव
 - अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव

आर्थिक समीक्षा 2021-22

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	628020 832529	642929 911674	679564 999050	660118 1013323	733017 1196137
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर(2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	5.24 9.46	2.37 9.51	5.70 9.58	-2.86 1.43	11.04 18.04
3	सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएँ	प्रतिशत	25.20 32.52 42.28	26.14 27.65 46.21	28.05 26.09 45.86	30.45 25.26 44.29	28.85 26.34 44.81
4	सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएँ	प्रतिशत	26.14 29.23 44.63	25.88 26.26 47.86	27.83 24.54 47.63	30.98 23.42 45.60	30.23 24.67 45.10
5	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	557618 748490	568102 819340	598550 898081	583645 914262	648142 1078903
6	प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	73529 98698	73929 106624	76882 115356	74009 115933	81231 135218

टिप्पणी - वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान ||, वर्ष 2020-21 संशोधित अनुमान | एवं वर्ष 2021-22- अग्रिम अनुमान
(अ)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सकल स्थाई पूँजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	236069	265091	283423	276473	-
8	कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक = 100)		170.17	183.07	202.56	204.97+	-
9	कुल खाद्यान्न उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	221.05	231.60	266.35	269.09+	225.20
10	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)		133.08	140.37	126.90	122.34 @	131.33 @
11	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100) प्रतिशत परिवर्तन		292.34 1.78	301.74 3.22	316.00 4.73	337.70 6.87	369.01\$ 9.27
12	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	19553	21078	21176	21979	23321\$
13	वाणिज्यिक बैंक शाखा (सितम्बर)	₹ करोड़	219643	267523	315149	343406	375030

*कृषि वर्ष से संबंधित है।

- + अन्तिम
- - अग्रिम
- @प्रावधानिक
- @@ प्रावधानिक दिसम्बर, 2021 तक
- \$ दिसम्बर, 2021 तक

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1

अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएँ प्रति हजार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएँ प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2019*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	23.7	19.7
अशोधित मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	5.7	6
शिशु मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार जीवित जन्म	35	30
मातृ मृत्यु अनुपात	2016-18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2014-18*	वर्ष	68.7	69.4

- एस आर.एस.बुलेटिन - भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

- राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

GSDP प्रचलित कीमतों पर-

- वर्ष 2021-22 में 11.96 लाख करोड़ रु. (देश का अंश 5.15%)
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 18.04 प्रतिशत की वृद्धि।
- अखिल भारतीय का सकल घरेलू उत्पाद - वर्ष 2021-22 में 232 लाख करोड़ (17.6% की वृद्धि)

GSDP स्थिर (2011-12) कीमतों पर -

- वर्ष 2021-22 में 7.33 लाख करोड़ रु. (देश का अंश 4.97%)
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि
- अखिल भारतीय का सकल घरेलू उत्पाद - वर्ष 2021-22 में 147.5 लाख करोड़ (9.2% की वृद्धि)

सकल राज्य मूल्य वर्धन

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर

- वर्ष 2021-22 में 11.16 लाख करोड़
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 17.41 प्रतिशत की वृद्धि
- क्षेत्रवार- कृषि 30.23%, उद्योग 24.67% और सेवा 45.10%

स्थिर (2011-12) कीमतों पर -

- वर्ष 2021-22 में 6.75 लाख करोड़ रु.।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 10.60 प्रतिशत की वृद्धि।
- क्षेत्रवार- कृषि 28.85%, उद्योग 26.34% और सेवा 44.81%।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

- सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूँजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है।

NSDP प्रचलित कीमतों पर

- वर्ष 2021-22 में 10.79 लाख करोड़ रु।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 18.01 प्रतिशत की वृद्धि।

NSDP स्थिर (2011-12) कीमतों पर

- वर्ष 2021-22 में 6.48 लाख करोड़ रु।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि।

प्रति व्यक्ति आय

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय

- वर्ष 2021-22 में 1,35,218 रु. (भारत- 1,50,326 रु.)।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 16.63 प्रतिशत की वृद्धि।

स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय

- वर्ष 2021-22 में 81,231 रु।
- वर्ष 2020-21 की तुलना में 9.76 प्रतिशत की वृद्धि।

सकल स्थाई पूँजी निर्माण

- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 के अंत में कुल संपत्तियाँ 2.76 लाख करोड़ अनुमानित की गई, जो जीएसडीपी का 27.28 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019-20 की तुलना में 2.45% की गिरावट हुई।
- सकल स्थाई पूँजी निर्माण में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का औसत योगदान वर्ष 2020-21 में क्रमशः 76.10 एवं 23.90 प्रतिशत रहा है।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100)

- राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है।
- इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति प्रकाश एवं उपस्थेत्वक समूह में सम्मिलित हैं।
- प्राथमिक वस्तु समूह को 33.894, विनिर्मित उत्पाद समूह को 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्थेत्वक वर्ग को 16.253 भारांकन दिया गया है।
- राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में 330.86 से बढ़कर वर्ष 2021 में 363.23 रहा है जो कि 9.78 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में 121.8 से बढ़कर वर्ष 2021 में 134.8 हो गया जिसमें 10.67 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई।

अध्याय-2 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

- कृषि परिवृश्य राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित है।
- जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है।

राजस्थान के GSVA में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना

- राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में 30.23% हो गया है।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी है।
- वर्ष 2021-22 में फसल क्षेत्र का अंश 45.94%, पशुधन क्षेत्र का अंश 46.25%, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.44% और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.37% हैं।

भू-उपयोग

- राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 342.90 लाख हैक्टेयर है।
- खंडवार अंश निम्नलिखित है -
 - शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल- 52.58%
 - बंजर भूमि- 10.84%
 - वानिकी-8.08%
 - ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि - 6.92%
 - अन्य चालू पड़त भूमि-6.25%
 - कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि-5.85%
 - स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि-4.86%

प्रचालित जोत धारक

- राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई।
- कुल जोतों का सीमान्त 40.12%, लघु 21.90%, अर्द्ध मध्यम 18.50%, मध्यम 14.79% एवं बड़े आकार 4.69% की वर्गीकृत जोत है।

महिला प्रचालित जोत धारक

- राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी।
- महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई।

मानसून

- राज्य में मानसून के पहुँचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 3 दिन देरी से 18 जून को प्रारम्भ होकर जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ।
- राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिमी. दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 414.50 मिमी. की तुलना में 17.10% अधिक रही है।
- राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरा मानसून सत्र 2021 में असामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जबकि गंगानगर एवं सिरोही जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई।

अध्याय-9 अन्य सामाजिक सेवाएँ/कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।
- 60 वर्ष से अधिक एवं 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है।

2. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गयी है।
- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएँ पेंशन की पात्र हैं।
- 40 वर्ष से अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को ₹500 प्रति माह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹1750 प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय हैं।

3. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2009 से शुरू की गयी है।
- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के वे व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।
- 18 वर्ष से अधिक आयु व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 18 वर्ष से अधिक व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को 750 प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है, तथा 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है।

4. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना

- वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है।

5. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

- इस योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।
- इस योजना में ₹500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम) ₹750 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 55 वर्ष व अधिक और 60 वर्ष से कम) ₹1,000 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 60 वर्ष व अधिक और 75 वर्ष से कम) और ₹1,500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष व अधिक) पेंशन दी जा रही है।

6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

- इस योजना में, विशेष योग्यजनों को ₹ 750 प्रतिमाह (55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को), 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है।
- सिलिकोसिस और क्रुष्ण रोग पीड़ित व्यक्तियों को भी ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।

7. लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

- लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों में, जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष व अधिक तथा पुरुषों की आयु 58 वर्ष व अधिक हो तथा 75 वर्ष से कम हो, वृद्धजन सम्मान पेंशन ₹750 प्रतिमाह देय हैं व 75 वर्ष व अधिक आयु होने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है।